न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01/95/2020 दर्ज तिथिः–05.03.2021

1. सन्तरा पत्नी श्री कन्हैयालाल उम्र 75 साल जाति ब्राहम्ण निवासी रूपूकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर। (मृतक)

..............वादी

बनाम

2. रोहिताश पुत्र नाथूराम उम्र 50 साल जाति मीना निवासी रूपकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर।

...........असल प्रतिवादी

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

...........तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादीनी अधिवक्ताः– श्री रामकरण चौपड़ा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– कोई उपस्थित नहीं।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 09.02.2023

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीनी द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्त[illegible] 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] किया कि हाल आराजी खाता संख्या 104 खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.76 हे0 [illegible] ग्राम रूपकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी की कब्जे की खातेदारी आराजी है जिस पर वादी काबिज है और काश्त करता चला आ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की जाती है तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। अन्त में निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।

2. वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद विधिवत तामील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 उपस्थित न्यायालय नहीं आने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद–पत्र साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया एवं वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में वादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया गया एवं प्रकरण में बहस करने हेतु निवेदन किया गया।

3. वाद–पत्र में इस के उपरान्त बहस विद्वान अभिभाषक वादी एकतरफा में सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीनी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि हाल आराजी खाता संख्या 104 खसरा नम्बर 300 रकबा 0.76 है0, वाके ग्राम रूपकाबास तहसील थानागाजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें। अन्त में वाद वादीनी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. मैंने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया । वादी अधिवक्ता द्वारा वाद–पत्र की पुष्टि में जमावंदी संवत् 2076–79 खाता संख्या 104 वाकै ग्राम रूपकाबास तहसील थानागाजी पेश की है से आराजी विवादित खसरा संख्या 300 रकबा 0.76 है0 वाकै ग्राम रूपकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है तथा वादीनी का यह कथन भी उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा करउसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीनी को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

5. प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार है:–

1. ***स्वामित्व एवं कब्जा:–*** वाद पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2076–79 तहसील थानागाजी पेश की है से खाता संख्या 104 वाकै ग्राम रूपकाबास तहसील थानागाजी आराजी विवादित खसरा संख्या 300 रकबा 0.76 है0 वाकै ग्राम रूपकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी में अंकित है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

2. ***सुविधा का संतुलनः–*** मुतनाजा आराजी पर वादी की खातेदारी आराजी होने तथा वादीनी का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।

3. ***अपूरणीय क्षतिः–*** वादीनी ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीनी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीनी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी संतुष्ट होती है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि–

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। आराजी हाल खाता संख्या 104 खसरा नम्बर 300 रकबा 0.76 है0, वाकै ग्राम रूपकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:47 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01 / 95 / 2020 दर्ज तिथिः–05.03.2021

1. सन्तरा पत्नी श्री कन्हैयालाल उम्र 75 साल जाति ब्राहम्ण निवासी रूपूकावास तहसील थानागाजी जिला अलवर। (मृतक)

..............वादी

बनाम

2. रोहिताश पुत्र नाथूराम उम्र 50 साल जाति मीना निवासी रूपकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर।

...........असल प्रतिवादी

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

...........तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादीनी अधिवक्ताः– श्री रामकरण चौपड़ा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– कोई उपस्थित नहीं।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

:–पर्चा डिक्रीः–

निर्णय तिथिः– 09.02.2023

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी किया जाता है। आराजी हाल खाता संख्या 104 खसरा नम्बर 300 रकबा 0.75 है0, वाके ग्राम रूपकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

आदेश प्रति संबंधित को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 09.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner